

निगरानी प्रकरण क्रमांक: /2016

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

दिनांक 3033-PBR/16

1. गोमा पिता उंकार सिंदड़ा
2. श्रीमती पुष्पाबाई बेवा रामलाल उर्फ रामा सिंदड़ा
3. भूपेन्द्र पिता रामलाल उर्फ रामा सिंदड़ा  
निवासी - सिंघाना, तहसील मनावर,  
जिला धार (म.प्र.)

....प्रार्थीगण

**विरुद्ध**

1. सुनील पिता रामलाल सिंदड़ा
2. निलेश पिता रामलाल सिंदड़ा  
निवासी - सिंघाना, तहसील मनावर,  
जिला धार (म.प्र.)
3. लीलाबाई पति उंकार  
निवासी - जहेड़ी, तहसील गंधवानी  
जिला धार (म.प्र.)

... प्रतिप्रार्थीगण



निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

प्रार्थीगण श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व, मनावर,

जिला धार द्वारा प्रकरण क्रमांक 23 / अपील / 2015-16 में पारित आदेश दिनांक

11.08.2016 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते

*(Signature)*



श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय  
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर  
दिनांक 5/9/16

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर  
दिनांक 30/8/16


*(Signature)*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3033-पीबीआर/16 [गौमा / सुनील]

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-11-2015	<p>आवेदकगण की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11-8-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम होकर अपील योग्य आदेश है, और आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के अपीलीय आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । अतः सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु आवेदकगण को प्रकरण वापिस किया जाता है ।</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>